

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान


डीरा बलार मंडी बनाम नन्दर बलार मंडी

किस्म मुकदमा धारा 212 RJA मु0.न0 5 सन् 2021/2021/5

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
15/1/21	पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RJA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 24/2/21 को पेश हो।	
24/2/21	सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अतिवस्ता उपस्थित है। पत्रावली वाले देखते तामिल दि 18/3/21 को पेश हो।	
18/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अतिवस्ता उपस्थित है। विपक्षी नन्दर बलार मंडी के उपस्थित नहीं है। अतः इसके खिलाफ एक तरफा कार्य जारी की जाती है। प्रार्थी अतिवस्ता की बस्त बुनी गई। प्रार्थी से वास्ते विवाहित भूमि में प्रार्थी लह रपाते दाद है। जिल्लो उकडे एक हिस्से की लीम एक बदेरपस एंगु भूमि पर खेती करने में कोई दरंगल जारी नहीं करे। विपक्षी से खिड डेक प्रार्थीक इस मसाला की मसाला विवेधारता जारी की जाती है। प्रार्थीक एक मसाला की बस्त एउडे मसाला में विपक्षी का 269 रकम 1.10 है। म.न 270 रकम 0.70 है। एक खिल 2 रकम 1.80 है भूमि	



के आर्गोपा की बेदखल नही करे एपम
उधरे एड हिस्से की सीमा तड कमत करे
मे कोई दरबंल दाजी नही करे। न अन्य
के बुराये ता पैसल मूल वाद के मौके
की मजाहिरी बगये रखे। यथापली उंमल
मुमा एड नम्या से कम हो।


18-3-2021

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)